28/8/19	पत्रावली पेश हुयी। उद्घोषणार्थ उभय पक्ष उपस्थित। वादी का वाद स्वीकार किया गया जिसका निर्णय पृथक से लिखाया जाकर के सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। डिक्री जारी हो पत्रावली मिसल शुमार होकर नक्शा से अमल हो। SDO		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी : रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : वाद 04/2018

अन्तर्गत

श्रीरमाशंकर पिता भवानीशंकर जी सक्सेना जाति कायस्थ निवासी कोटा जिला कोटा (राज.)

— वादी

बनाम

1- श्री भवाना पिताश्रीआत्माराम कंजर निवासी धांगडमऊ थाना भैंसरोडगढ़ तह० रावतभाटा

2- श्री महावीर पिता श्री रतनलिया कंजर निवासी धांगडमऊ थाना भैंसरोडगढ़ तह० रावतभाटा

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राज. टि. एक्ट.

उपस्थिति :

निर्णय

दिनांक 28/8/2019

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धांगडमऊ खुर्द पटवार हल्का धांगडमऊकलां तहसील रावतभाटा स्थित आराजी नम्बर 21 रकबा 1.73 हे. वादी के खाते की जमीन हैं जो, जो वादी ने करीब 9 वर्ष पहले खरीद की थी। वादी ने खरीदने के बाद इस जमीन पर काश्त करवायी, वादी कोटा रहता है तथा वृद्ध व्यक्ति है। अभी वादी ने खेत मे उगी हुई मक्का की फसल काटी, उसके बाद दिनांक 30/10/2017 को वादी अगली फसल बोने गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि इस बार हम तुझे फसल बोने नही देगें, तेरी जमीन पर हम कब्जा करके रहेगें, ज्यादा करेगा तो जेल भिजवा देगें तथा धारा 3 के केस मे फसवा देगें, जिससे वाद कारण दिनांक 30/10/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से पैदा होकर हर रोज उत्पन्न हो रहा है। अन्त मे वादी के खाते की ग्राम धांगडमऊखुर्द प.ह. धांगडमऊकलां की आराजी नम्बर 21 रकबा 1.73 हे. मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय करें

--- लगातार

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

और न अन्य से कराने बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादी की जमीन पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटीस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 12/3/2018 को उनके जवाबदावा प्रस्तुत करने का अधिकार बंद किया गया। प्रकरण मे वादी की साक्ष्य मे वादी स्वयं ने शपथपत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण अंकित की गई। वादी ने दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 प्रदर्शित कराया।

बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन / अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर गम्भीरता से मनन किया। वाद पत्र मे अंकित आराजी वादी की खातेदारी हक की होना प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी से प्रमाणीत है। वादी का कहना है कि प्रतिवादीगण उसकी कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है अत: प्रतिवादीगण को वादी की आराजी मे दखलन्दाजी न स्वयं करने एवं न ही अन्य से कराने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे तथा इस दौरान यदि प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर कब्जा कर लेवे तो उन्हें बेदखल कर, कब्जा वादी को दिलाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को निराधार बताते हुए 30-50 वर्षो से ~~वादी~~ प्रतिवादीगण का कब्जा होने का कथन कर वादग्रस्त जमीन से प्रतिवादीगण को बेदखल नही करने बाबत निवेदन किया। प्रदर्श-1 एवं साक्ष्य वादी के अनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188-183 आर.टी.ए. प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अत: वादी का वाद पत्र बाबत ग्राम धांगडमऊखुर्द प.ह. धांगडमऊकलां तहसील रावतभाटा की आराजी नम्बर 21 रकबा 1.73 हे. जो कि वादी की खातेदारी हक की है, स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादी की आराजी मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें न ही अन्य से करावें तथा इस दौरान यदि प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर कब्जा कर लेवे तो उन्हें बेदखल कर कब्जा पुन: वादी को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner